

# मध्यप्रदेश विधान सभा



दिसम्बर, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 27, 1946)

समय 11.00 बजे दिन

## 1. शपथ.

उप चुनाव में, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-2, विजयपुर से निर्वाचित सदस्य श्री मुकेश मल्होत्रा शपथ लेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे तथा सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

## 2. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

### (1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन नगरीय स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन क्रमांक-2,

(ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन अनुपालन लेखापरीक्षा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-3,

(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के कार्यान्वयन पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-4,

(iv) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन क्रमांक-5 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल),

(v) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-6 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल),

(vi) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मध्यप्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-7 (निष्पादन लेखा परीक्षा-वाणिज्यिक),

(vii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-8 (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल),

(viii) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2023-2024 के खण्ड-I एवं II तथा विनियोग लेखे वर्ष 2023-2024, एवं

(ix) नगरीय निकायों पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021

(ख) दि स्टेट फायनेंशियल कारपोरेशन एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 69 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024,

(ग) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन्, 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार-

(i) वित्तीय वर्ष 2023-2024 की द्वितीय छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण, एवं

(ii) वित्तीय वर्ष 2024-2025 की प्रथम छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण, तथा

(घ) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बनाये गये नियम, 2006 की कंडिका 9 की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 की अनुपालन एवं पुनर्विलोकन रिपोर्ट पटल पर रखेंगे.

(2) श्री एदल सिंह कंधाना, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2021-2022 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री पर्यटन, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 83 (बी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष (31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे.

(5) श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री पर्यावरण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखेंगे.

#### 4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य, प्रदेश में आदिवासी बस्ती विकास योजना के अंतर्गत राशि का आवंटन न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जनजातीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य, प्रदेश में साइबर अपराध पर अंकुश न लगने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

#### 5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 133-भैंसदेही (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान को विधान सभा के दिसम्बर, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

#### 6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

- (1) श्री भंवर सिंह शेखावत, सभापति, लोक लेखा समिति का प्रथम से उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.
- (2) श्री हरिशंकर खटीक, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.
- (3) श्री बिसाहूलाल सिंह, सभापति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का षष्ठम एवं सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

#### 7. याचिकाओं की प्रस्तुति.

- (1) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम दुबाहा से मलखानपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (2) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के केवलारी अंतर्गत धनौरा में कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय संचालित कराये जाने,
- (3) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर अंतर्गत ग्राम धुरारा से मड़िया मेन रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (4) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी, सदस्य, शाजापुर जिले के कालापीपल-खमलाय-अमलाय मार्ग को टू-लेन कराये जाने,
- (5) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम रामसिंह का पुरवा से पन्ना चौकी मुख्य मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (6) श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम जरियाकला से ठाकुर बाबा एवं शंकर जी मंदिर तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (7) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम वरेठी की सार्वजनिक निस्तार भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने,
- (8) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में 132 के.व्ही.ए. विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने,
- (9) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य, धार जिले के कुक्षी अंतर्गत प्लासी-बलवानी-बाबली मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (10) श्री विपीन जैन, सदस्य, मंदसौर जिले के शास. मा. विद्यालय दलोदा स्टेशन स्थित शाला परिसर में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने,
- (11) श्री आतिफ आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल शहर के पुराने भोपाल क्षेत्र में स्मार्ट पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने,
- (12) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य, रतलाम जिले के सैलाना अंतर्गत रावटी रेल्वे स्टेशन को ग्राम से जोड़ने हेतु पुल का निर्माण कराये जाने,
- (13) श्री चैन सिंह बरकड़े, सदस्य, मण्डला जिले के विकासखण्ड शहपुरा एवं मेहदवानी को मिलाकर जिला बनाये जाने,
- (14) श्री नारायण सिंह 'पट्टा', सदस्य, मण्डला जिले की ग्राम पंचायत समनापुर से खम्हरिया एवं बीजा से कुठरपानी तक ग्रेवल सड़क निर्माण कराये जाने,
- (15) श्री संतोष बरकड़े, सदस्य, जबलपुर जिले के कुण्डम अंतर्गत ग्राम रानीपुर से गौमुख तक सड़क निर्माण कराये जाने,

- (16) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य, धार जिले की ग्राम पंचायत लुन्हैरा एवं धनखेड़ी में 132 के.व्ही. ग्रीड लगाये जाने,
- (17) श्री प्रह्लाद लोधी, सदस्य, पन्ना जिले के शाहनगर से चमरइया वाया बोरी सड़क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने,
- (18) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले की ग्राम पंचायत मोहगांव में जलाशय (बांध) निर्माण कराये जाने,
- (19) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी जिले के ग्राम टेहरका एवं चदावनी में सी.एम. राईज विद्यालय स्वीकृत करने,
- (20) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के सरदारपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत लेडगांव में तालाब के पास पुल निर्माण कराये जाने,
- (21) श्री श्याम बरडे, सदस्य, बड़वानी जिले के निवाली अंतर्गत नवीन विद्युत वितरण केन्द्र खोले जाने,
- (22) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, मऊगंज जिले के खटखरी से धोधय तक पुल एवं सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (23) श्री नीरज सिंह ठाकुर, सदस्य, जबलपुर जिले के बरगी अंतर्गत ग्राम बिझना को राजस्व ग्राम में दर्ज कराये जाने,
- (24) डॉ. चिंतामणि मालवीय, सदस्य, रतलाम जिले के आलोट अंतर्गत कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र खोले जाने,
- (25) श्री बाबू जण्डेल, सदस्य, श्योपुर जिले में भारत स्काउड गार्ड के ट्रेनिंग सेंटर हेतु राशि स्वीकृत करने,
- (26) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के ग्राम कोहका से सीतामुआर तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (27) श्री दिनेश जैन बोस, सदस्य, उज्जैन जिले के महिदपुर शहर अंतर्गत बायपास निर्माण कराये जाने,
- (28) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले की महु-नीमच रोड स्थित पिपलौदा चौराहे पर ओव्हर ब्रिज एवं सर्किल का निर्माण कराये जाने,
- (29) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, सागर जिले के रामपुरा वार्ड में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने,
- (30) श्री भगवानदास सबनानी, सदस्य, भोपाल जिले के वार्ड क्रमांक-46 में सरिता कॉम्प्लेक्स के पास बने नाले का निर्माण कराये जाने,
- (31) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य, अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ अंतर्गत ग्राम पानगोला में पुलिया सह स्टाप डेम का निर्माण कराये जाने
- (32) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य, मैहर जिले के ग्राम मडई में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु नवीन भवन का निर्माण कराये जाने,
- (33) श्री मुकेश टण्डन, सदस्य, विदिशा जिले के गुलाबगंज शासकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने,
- (34) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य, जबलपुर जिले की पूर्व विधान सभा क्षेत्र में एक महिला महाविद्यालय खोले जाने,
- (35) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के करैरा अंतर्गत डबरा-नरवर रोड के मध्य सिंध नदी पर नवीन पुल निर्माण कराये जाने,
- (36) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम मदनपुर से बोदा मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (37) श्री बाला बच्चन, सदस्य, बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत रूई के मलीपुरा से सेलीपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (38) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्रमांक-23 में कबीर पार्क से भीमनगर तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (39) श्री मोन्दू सोलंकी, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम चिरमिरिया से वेडश्या होते हुए सातपारी से सिरवेल तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (40) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम रावरी से ठाकुर बाबा तक सोमनदी पर लोहे का पुल निर्माण कराये जाने,
- (41) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के पथरारी, पिपरिया से निपानिया-केवलारी पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (42) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम चंद्रपुरा में धनुषधारी एवं बिहारीजी के मंदिर का मरम्मत कार्य कराये जाने,
- (43) सुश्री रामश्री राजपूत, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम कुशमाड में लोटना बांध का निर्माण कराये जाने,
- (44) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले की जनपद पंचायत लालबर्वा में अग्निशामक यंत्र प्रदाय करने,
- (45) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के झिरन्या अंतर्गत ग्राम कुडी में हाई स्कूल भवन निर्माण कराये जाने,
- (46) श्री प्रेमशंकर वर्मा, सदस्य, नर्मदापुरम जिले के ग्राम शिवपुर में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,
- (47) श्री मथुरलाल डामर, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम कुण्डाल अंतर्गत कोटेश्वर महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने,
- (48) श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम मकरी कुठार से चांदा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (49) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम गठेवरा में नाव नरिया से सी.एम. राईज स्कूल तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (50) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम गोहिन्दा से सहोना तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (51) श्री कामाख्या प्रताप सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम पन्नपुरा में बरसाती नाले पर चैक डेम निर्माण कराये जाने,
- (52) श्री केशव देसाई, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम एनो अंतर्गत हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (53) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले की गोहडारी नदी के कैलाश घाट में रपटा कम स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,
- (54) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य, भिण्ड जिले के स्काउड गार्ड ट्रेनिंग सेन्टर हेतु भूमि आवंटित करने,
- (55) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के परसोरिया में शासकीय महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
- (56) श्री कालूसिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के धरमपुरी अंतर्गत ग्राम पंचायत सेगदा में 100 सीटर आदिवासी बालिका छात्रावास स्वीकृत किये जाने,

- (57) श्री गौरव सिंह पारधी, सदस्य, बालाघाट जिले के राजीव सागर बांध का पानी नहलेसरा बांध में पहुंचाये जाने,  
(58) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के नगर इंदरगढ़ में खेल मैदान का निर्माण कराये जाने,  
(59) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के नगर सिरोज को नवीन जिला घोषित किये जाने,  
(60) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम बड़गांव की आवासीय कन्या छात्रावास तक पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने,  
(61) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम जरारा अंतर्गत विचोला मेन रोड से पटियावाले बाबा मंदिर तक सड़क निर्माण कराये जाने,  
(62) श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पहाड़गढ़ से पंचमपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,  
(63) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम जूनापानी से दमदमा तक पक्की सड़क निर्माण कराये जाने,  
(64) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम हरनावदा से जोलई जिला देवास तक सड़क निर्माण कराये जाने,  
(65) श्री भैरोसिंह बापू, सदस्य, आगर-मालवा जिले के सुसनेर अंतर्गत ग्राम मगीशपुर से गणेशपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,  
(66) कुंवर अभिजीत शाह, सदस्य, हरदा जिले की जनपद पंचायत टिमरनी के ग्राम रातामाटी तक सड़क निर्माण कराये जाने,  
(67) श्री अमरसिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के खुजनेर नगर में नवीन शासकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने,  
(68) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के पालसोडा में बायपास निर्माण कराये जाने,  
(69) श्री विवेक (विक्की) पटेल, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम कन्हड़गांव से भानपुर के मध्य पुल निर्माण कराये जाने,  
(70) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य, ग्वालियर जिले के वार्ड क्रमांक-61 बैंक कॉलोनी बड़ागांव में सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,  
(71) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य, नर्मदापुरम जिले में धानक समाज के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मिलित करने,  
(72) श्री सचिन सुभाष यादव, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम सत्राटी में कृषि महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने,  
(73) श्री अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के सिरमौर अंतर्गत रंगौली चौराहे से बड़ागांव पहुंच मार्ग निर्माण कराये जाने,  
(74) श्री केदार चिड़ाभाई डावर, सदस्य, खरगोन जिले के भगवानपुरा अंतर्गत ग्राम काकडिया से भैरूपुरा स्कूल तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,  
(75) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम खरिका में आंगनवाड़ी क्रमांक-1, 2 व 3 के लिये भवन निर्माण कराये जाने,  
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

## 8. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर), मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 29 सन् 2024) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

## 9. वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“ दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 54 एवं 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर बाईस हजार दो सौ चौबीस करोड़, तिरानवे लाख, पांच हजार, नौ सौ इक्कीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. ”

## 10. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 6) विधेयक, 2024 (क्रमांक 28 सन् 2024) का \*पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :  
दिनांक : 17 दिसम्बर, 2024

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

\* अनुपूरक अनुमान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.

निर्धारित  
समय

4 घण्टे